

(31)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]  
No. 155]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 1990/फाल्गुन 29, 1911  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 1990/PHALGUNA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1990

का.आ. 237(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 29 जून 1987 को प्रकाशित, भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 647 (ई) दिनांक 29 जून 1987 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि संघ शासित क्षेत्र दमण व दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक के नाम से दिए जाने वाले सभी आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को दमण व दीव और दादरा

द नगर हवेली प्रशासन के मुख्य सचिव, सचिव (शिक्षा), सचिव (राजस्व), अपर सचिव और सहायक सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

[सं. यू. 11030/2/90-यू टी एल]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 1990

S.O. 237 (E).--In exercise of powers conferred by clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 647 (E) dated the 29th June, 1987 published at page 2 of Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated the 29th June, 1987, the President hereby directs that all orders and other instruments made in the name of the Administrator of the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli shall be authenticated by the signature of the Chief Secretary, Secretary (Education) Secretary (Revenue), Additional Secretary and Assistant Secretary of the Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Administration.

[No. U-11030/2/90-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.